कार्यालय जिलाधिकारी,बुलन्दशहर ।

पत्रांक 707 /सि0 पें0/कोष0,बु0शहर/2017–2018,

दिनांक 26-05-2017

समस्त आहरण–वितरण अधिकारी (नाम से),

जनपद–बुलन्दशहर ।

लक्ष्यः सेवानिवृत्ति के दिन सेवानैवृतिक लाभ देयता सम्बन्धी प्रपत्र सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी जिसके विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है, को उपलब्ध करा दिया जाये ।

इस सम्बन्ध में वरिष्ठ कोषाधिकारी बुलन्दशहर के पत्रांक–784/ई–पेंशन/2016–17 दिनांक 13/12/2016, एवं अद्योहस्ताक्षरी के पत्रांक–782/ई–पेंशन/2016–17 दिनांक 08/12/2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें । वित्त(सामान्य) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या–सा– 22/2015/ सा–3– 1067/ दस–2015–301 18/2013 दिनांक 17 दिसम्बर 2015 के अनुसार दिनाँक 29 फरवरी 2016 के उपरान्त अर्थात दिनाँक 01 मार्च 2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण आन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली द्वारा ही निस्तारित किये जायेंगे।

– सेवानिवृत्त होनें वाले कर्मचारी/अधिकारी की सेवानिवृत्ति के छः माह पूर्व सामान्य भविष्य निधि की कटौती बन्द होनें पर सामान्य भविष्य निधि के भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ की जाये ।
– कर्मचारी/अधिकारी के पेंशन प्रपत्रों को पूर्ण करनें की कार्यवाही सेवानिवृत्ति के छः माह पूर्व प्रारम्भ कर दिया जाये एवं सेवानिवृत्ति के एक माह पूर्व पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी के पोर्टल पर अपलोड कर दिये जायें ।
– यदि कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही सेवानिवृत्ति के पूर्व संस्थित की गई हो तो इसे सेवानिवृत्ति के दिनांक से एक माह पूर्व, पेंशन प्रपत्र अपलोड करनें के पूर्व ही पूर्ण कर लिया जाना सुनिश्चित करें ।
– ई–पेंशन के सम्बन्ध में यदि कोई समस्या हो तो कोषागार में सम्पर्क कर समस्या का निराकरण करायें ।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि अपने कार्यालय से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर व्यक्तिगत रूचि लेकर निस्तारित करें एंव उनकी पेंशन का भुगतान नियमानुसार ई–पेंशन के माध्यम से तत्काल करायें जानें की व्यवस्था के साथ ही अपनें कार्यालय से सम्बन्धित सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या तथा उनके सापेक्ष पेंशन के अपलोड/निस्तारित किये गये प्रकरणों का विवरण कोषागार को प्रत्येक माह की 07 तारीख तक अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायें । विलम्ब की दशा में सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे ।

(डा० रोशन जैकब)
जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर

पत्राँकः /सि0 पें0/कोषा0/2017–2018, दिनाँक उपरोक्त ।

1– निदेशक, कोषागार उ0प्र0,1018,जवाहर भवन,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2– निदेशक, पेंशन निदेशालय उ0प्र0,इन्दिरा भवन,लखनऊ एवं अपर निदेशक, को–पे–, मेरठ, को सूचनार्थ प्रेषित।
707-I 3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, बुलन्दशहर को अनुश्रवण एवं प्रत्येक माह की दस तारीख तक प्रत्येक डी.0डी0ओ0 की स्टेटस रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें ।
707-II 4– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि इस पत्र को जनपद बुलन्दशहर की वैबसाईट पर अपलोड करायें ।

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर

वरिष्ठ कोषाधिकारी 26.5.17

Scanned by CamScanner